

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम निम्बाहेडाकंला तहसील बनेड़ा

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी - श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-33/2018

1 अनवान
हरलाल पिता चौथु गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जालियाखेडा तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा

बनाम

..... वादी

- 1 राजु पिता निम्बा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जालियाखेडा तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
- 2 चन्द्रा पिता घासी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी जालियाखेडा तहसील बनेडा जिला-भीलवाडा
- 3 ग्राम सेवना सहकारी समिति निम्बाहेडाकंला जरिये संस्थापक ग्राम सेवना सहकारी समिति निम्बाहेडाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
- 4 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0


..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :- श्री मुरारी जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार सरकार.....विपक्षी संख्या 04

दिनांक - 14.05.2018

वादी का वादपत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88-89-92क-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम जालियाखेडा पटवार हल्का क्षेत्र निम्बाहेडाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा स्थित खतौनी संख्या 137 आराजी संख्या 345/165 रकबा 07-00 बीघा के राजस्व रेकार्ड चालु जमाबन्दी के क्षेत्रफल अनुसार राजस्व नक्शे में हल्का पटवारी एवं भु.अ.निरीक्षक रायला द्वारा प्रस्तावित तरमीम ट्रेस को राजस्व नक्शे में दुरुस्तीकरण किया जावे। तथा साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। डिक्री व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिक्केन अपना-अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 14.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम निम्बाहेडाकंला में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।


(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा